



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

सं०-602-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2012-19-प्र०सु०/2004,

दिनांक 9 सितम्बर, 12.

अच्छूरा

1- प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।

2- निदेशक (का०प्र०),
उ०प्र० पावर ट्रॉसमिशन कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

**विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कारपोरेशन के जन सूचना अधिकारी द्वारा
वॉछित सूचनायें एवं अंतरित आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध
कराने के संबंध में**

महोदय

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कारपोरेशन, मुख्यालय एवं अन्य इकाईयों द्वारा कारपोरेशन, मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी को वॉछित सूचनायें तथा उनके द्वारा अन्तरित किये गये आवेदन पत्रों पर आवेदकों को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। यह अत्यन्त खेद एवं चिन्ता का विषय है।

आप अवगत ही होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-07(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक को वॉछित सूचना विलम्बतम 30 दिनों में उपलब्ध करायी जानी है। मा० राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के उक्त प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उक्त अधिनियम की धारा-20 (1) में आवेदक द्वारा माँगी गयी सूचना निर्धारित समयावधि (30 दिन जैसा कि अधिनियम की धारा-07 (1) में निहित है) में न दिये जाने पर प्रतिदिन दो सौ पचास रुपये किन्तु अधिकतम रूपये पच्चीस हजार की शास्ति (दण्ड) मा० आयोग द्वारा अधिरोपित की जा सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 04 एवं 05 में निर्णोकित व्यवस्था विहित है:-

उपधारा-4:- यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की माँग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

उपधारा-5:- कोई अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जिसकी उपधारा-4 के अधीन सहायता चाही गई है उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम की उपरोक्त व्यवस्थाओं से सुस्पष्ट है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाना परमावश्यक है तथा कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचनायें तथा अन्तरित आवेदन-पत्रों में वॉछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है। कारपोरेशन, मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचनायें तथा अन्तरित आवेदन-पत्रों के माध्यम से आवेदकों, द्वारा अपेक्षित सूचनायें ससमय उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में प्रकरण से सम्बधित अधिकारी को समस्त प्रयोजनों हेतु जनसूचना अधिकारी माना जायेगा जिससे सूचना की अपेक्षा की गयी हो।

कृपया अधिनियम के अपर्युक्त प्राविधानों से अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को अवगत करा दें तथा इन प्राविधानों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने स्तर से उन्हें निर्देशित करें।

भवदीय

(ए० के० सिंह)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

सं०:-602(1)-ज०शा० एवं प्र०सू०-01/पाकालि/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशक गण से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर सचिव (का०प्र०-प्रथम)/(द्वितीय)/(अराजपत्रित)/(काविनी)/मुख्य महाप्रबन्धक(औ०सं०) उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अपर सचिव (का०प्र०-तृतीय) एवं जनसूचना अधिकारी (मुख्यालय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ को पत्र सं०-5021-सू०प्र०अ०-15/पाकालि/12-797-ज०सू०/12 दिनांक 10.09.2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित।
6. समस्त संयुक्त सचिव/उपसचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता, उ०प्र०पा० का० लि०।
8. समस्त अनुभाग/कोषक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए० के० सिंह)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)